अध्याय - 3 | वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हो तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 12 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2017 तक ₹ 490.04 करोड़ की राशि के 353 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 303.25 करोड़ धनराशि के 211 उपयोगिता प्रमाण पत्र दो वर्षों से लम्बित थे तथा दो वर्षों से ऊपर के ₹ 186.79 करोड़ धनराशि के 142 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब **तालिका-3.1** में सारांशित है।

तालिका-3.1 : मार्च 2017 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1.	0-1	129	162.69
2.	1-2	82	140.56
3.	दो वर्षों से ऊपर	142	186.79
योग		353	490.04

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2016-17।

तथापि, ₹ 162.69 करोड़ के 129 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की नियत तिथि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के मध्य है। इस प्रकार, विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2016 तक विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिये गये ₹ 327.35 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 224 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मार्च 2017 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इसलिए, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना / विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित किये जाने वाले संस्थानों में सरकार / विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को प्रतिवर्ष दिये गये आर्थिक सहायता, जिन उद्देश्यों के लिए सहायता दी गयी हो और संस्थान के कुल व्यय का विस्तृत विवरण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखा एवं लेखापरीक्षा नियम 2007 उपलब्ध कराते हैं कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो अनुदान एवं / अथवा ऋण, निकायों एवं प्राधिकारियों को स्वीकृत करते है, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों के जिन्हे पिछले वर्ष ₹ 10 लाख या उससे अधिक अनुदान एवं ऋण प्रदत्त किया हो, (अ) सहायतित धनराशि (ब) उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो और (स) संस्था प्राधिकारी के कुल व्यय को दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करेगें।

यह देखा गया कि पिछले वर्ष ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और / अथवा ऋण प्राप्त संस्था अथवा प्राधिकारियों मे से किसी भी विभागाध्यक्ष ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता की प्रवृत्ति, विशेषतः विपथन अथवा दुरूपयोग के प्रकरण में, विधायिका / सरकार को आश्वासन नहीं दे सका।

3.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम

रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा / राज्य विधानमण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के स्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रस्तुत करें। मार्च 2017 तक, प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट-3.1*** में दी गयी है। लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.4 लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन इन्द्राज

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' एवं 'अन्य प्राप्तियाँ' का संचालन केवल उस समय किया जाये जब खाता चार्ट में उचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाये क्योंकि इससे खाते अपारदर्शी होते हैं। 2016-17 के दौरान, राजस्व लेखों में 39 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य व्यय के अधीन ₹ 2,919.42 करोड़ की राशि, कुल राजस्व व्यय (₹ 25,271.50 करोड़) की 11.55 *प्रतिशत* रही।

इसी प्रकार, लेखाओं में 35 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य प्राप्तियों के अधीन ₹ 852.62 करोड़ की राशि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,888.97 करोड़) की 3.43 *प्रतिशत* रही। दृष्टान्त, जिनमें प्राप्ति और व्यय का पर्याप्त भाग (50 *प्रतिशत* अथवा अधिक एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ और लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में वर्गीकृत किया गया था, **तालिका-3.2** में दर्शाये गए हैं।

तालिका-3.2 : मुख्य शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अधीन इंद्राज की गयी पर्याप्त धनराशि

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन इंद्राज	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन इंद्राज	व्यय की प्रतिशतता
0023	29.43	29.43	100	2040	186.48	115.41	61.89
0059	51.08	51.06	99.96	2217	228.33	163.59	71.65
0210	78.70	78.70	100	2245	1,225.44	1,005.44	82.05
0235	17.10	17.10	100	2250	39.81	39.81	100
0250	29.03	29.03	100	2501	311.50	295.45	94.85
0406	318.21	318.21	100	2810	18.13	10.34	57.03
0801	130.08	130.08	100	3425	19.78	10.67	53.94
योग	**653.63**	**653.61**	**100**	**योग**	**2,029.47**	**1,640.71**	**80.84**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे।

वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, जबकि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकारी लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है। लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

विभागीय अधिकारियों ने 224 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2017 तक देय) को, विशेष उद्देश्यों के लिए दिये गये अनुदानों ₹ 327.35 करोड़ के सापेक्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को मार्च 2016 तक प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

सरकार विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित कर सकती है।

विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों के विवरण महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे जिनको पिछले वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के अनुदान और / अथवा ऋण का भुगतान किया गया था। ऐसे संस्थान जिनकी नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेखापरीक्षा की जानी थी, समुचित पहचान नहीं की जा सकी।

सरकार अनुदान या ऋण प्राप्त करने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं एवं अन्य इकाइयों की जवाबदेही हेतु उनके वार्षिक लेखों का समय से अन्तिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित कर सकती है।

केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत, व्यय एवं प्राप्तियों के लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में इंद्राज महत्वपूर्ण राशियाँ 2016-17 के वित्त लेखे में, स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी गयीं, जिससे वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

सरकार मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों एवं व्ययों को मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाने के बजाए पृथक रूप से दर्शाकर वित्तीय रिपोर्टिंग की शुद्धता को सुनिश्चित कर सकती है।

(एस. आलोक)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

देहरादून
दिनांक: 06 फरवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 13 फरवरी 2018